



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या-02/2022)

विज्ञापन संख्या-02/2022 के तहत **Community Health Officer (CHO)** के 4050 पदों पर चयन/नियोजन हेतु Integrated कोर्स एवं Certificate in Community Health कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से दिनांक 03.03.2022 एवं विस्तारित तिथि 20.03.2022 तक आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित B.Sc. (Nursing)/ Post Basic B.Sc. (Nursing)/GNM कोर्स में प्राप्त अंक के आधार रक्ति के अनुसार 1:2.5 के अनुपात में Shortlist किया गया है, जिसे समिति के वेबसाइट-statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। उक्त पद के लिए अंकित अनुपात में Shortlisted अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन (Counselling) किया जाना है। Counselling के उपरांत अन्तिम मेधासूची तथा चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. Shortlisted अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

तिथि	समय	Sl. No.	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
12.09.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	001 - 203	203	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) शेखपुरा, पटना-14
	02:00 PM-05:00 PM	204 - 406	203	
13.09.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	407 - 609	203	
	02:00 PM-05:00 PM	610 - 812	203	
14.09.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	813 - 1015	203	
	02:00 PM-05:00 PM	1016 - 1218	203	
15.09.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	1219 - 1421	203	
	02:00 PM-05:00 PM	1422 - 1624	203	
16.09.2022 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	1625 - 1827	203	
	02:00 PM-05:00 PM	1828 - 2030	203	
19.09.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	2031 - 2233	203	
	02:00 PM-05:00 PM	2234 - 2426	203	
20.09.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	2427 - 2639	203	
	02:00 PM-05:00 PM	2640 - 2842	203	
21.09.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	2843 - 3045	203	
	02:00 PM-05:00 PM	3046 - 3248	203	
22.09.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	3249 - 3451	203	
	02:00 PM-05:00 PM	3452 - 3654	203	
23.09.2022 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	3655 - 3857	203	
	02:00 PM-05:00 PM	3858 - 4060	203	
24.09.2022 (शनिवार)	10:00 AM-01:00 PM	4061 - 4263	203	
	02:00 PM-05:00 PM	4264 - 4466	203	
26.09.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	4467 - 4669	203	
	02:00 PM-05:00 PM	4670 - 4872	203	
27.09.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	4873 - 5075	203	
	02:00 PM-05:00 PM	5076 - 5278	203	
28.09.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	5279 - 5481	203	
	02:00 PM-05:00 PM	5482 - 5684	203	
29.09.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	5685 - 5887	203	
	02:00 PM-05:00 PM	5888 - 6092	205	

पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30PM निर्धारित किया गया है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



3. Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि तक (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका दो सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (i) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Application) की प्रिन्ट कॉपी
- (iii) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- Voter ID, AADHAR, PAN, Driving Licence इत्यादि।
- (iv) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- (v) **Essential Qualification:**
B.Sc. (Nursing) / Post Basic B.Sc. (Nursing) / with Integrated curriculum of Certificate course in Community Health (CCH).

OR

General Nurse and Midwifery (GNM) with successful completion of Certificate course in Community Health

OR

B.Sc. (Nursing) / Post Basic B.Sc. (Nursing) / with successful completion of Certificate course in Community Health.

IMPORTANT NOTE:

- (i) The institute/ university from which the B.Sc. / Post Basic B.Sc. Nursing / GNM course has been completed SHOULD BE recognized by Indian Nursing Council / Health Department of any State Government/UT/ Bihar Nurses Registration Council (BNRC) / Any State Nursing Council AND the candidate should be registered with Indian Nursing Council / Any State Nursing Council.
 - (ii) The Nursing registration council/Institute should specify that the candidate has successfully completed the B.Sc./Post Basic B.Sc. Nursing curriculum with integrated course in community health.
 - (iii) Candidates should have permanent registration from Indian Nursing Council/Any State Nursing Council at the time of application.
 - (iv) Final Selected candidates should provide Permanent registration from Bihar Nurses Registration Council (BNRC), Patna within three months of joining as CHO.
- **Note: with respect to HR Policy – Chapter-2 “General conditions of Service” and Clause-5 “CHO already working with NHM, Bihar should not apply”.**
- (vi) आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है:-
- आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
 - आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। Online आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।



- Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (अनुसूची-1 / प्रपत्र-1) मान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 एवं 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता / पोती / नाती / नतिनी को रिक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता / पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Online आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती / नतिनी / पोता / पोती होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-6026 दिनांक 19.04.2022 के तहत Lohara (लोहार) जाति को राज्य के अधीन पुनः अनुसूचित जनजाति से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में शामिल किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के मूल प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं उसकी एक छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

[Signature]

[Signature]




■ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

4. यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

5. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, **Cut-off date-(01.02.2022)** के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट—statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।


(राजेश कुमार)

उप सचिव-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।